Sem 3 GE/DSC & Sem 5 CC-12

विधानपरिषद् - Legislative Council

विधानपरिषद् राज्यविधानमंडल का दूसरा सदन है। भारत में केवल 6 राज्यों में विधान परिषदें हैं- उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश और तेलंगाना।

रचना - अधिकतम - विधानसभा के कुल सदस्य संख्या का 1/3 सदस्य

न्यूनतम - 40 सदस्य

जिसमें 1/3 - विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं।

1/3 - स्थानीय निकाय के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं।

1/12 - ऐसे अध्यापकों द्वारा निर्वाचित जो राज्य की माध्यमिक या उच्च स्तर की शिक्षा संस्थाओं में कम-से-कम 3 वर्ष से कार्यरत हों।

1/12 - विश्वविद्यालय के उन स्नातकों द्वारा निर्वाचित, जिनको स्नातक किए हुए 3 वर्ष हो चुका है।

1/6 - राज्यपाल द्वारा मनोनीत, जो कला, साहित्य, विज्ञान और समाजसेवा के क्षेत्र में ख्यातिप्राप्त हों।

चुनाव - आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा।

योग्यता - वह भारतीय हो, 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लाभ के पद पर न हो, पागल या दिवालिया न हो।

कार्यकाल - यह एक स्थायी सदन है इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक दो वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं। एक सदस्य 6 वर्ष तक अपने पद पर बना रहता है।

अधिवेशन - वर्ष में 2 बार, दोनों अधिवेशनों के बीच 6 माह से ज्यादा अंतर नहीं।

गणपूर्ति - सदस्यों का 1/10

अधिकारी - विधानपरिषद् के सदस्य अपने में से ही सभापति और उपसभापति चुनते हैं।

विधानपरिषद् के कार्य एवं शक्तियाँ -

1) **वैधानिक शक्तियाँ** - यह राज्यसूची के विषयों पर कानून बनाती है। साधारण कानून बनाने की प्रक्रिया में यह विधेयक को 4 माह तक रोक सकती है। उसके बाद वह दोनों सदनों से पारित होकर राज्यपाल की स्वीकृति हेतु भेज दिया जाता है।

2) **धन विधेयक** - यह इसे केवल 14 दिनों तक रोक सकती है इसके पश्चात धन विधेयक दोनों सदनों से पारित माना जाता है।

3) **कार्यपालिका शक्तियाँ** - अधिवेशन के दौरान मंत्रियों से केवल प्रश्न पूछ सकती है उनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर पद से नहीं हटा सकती।

विधानपरिषद् की स्थिति - यह एक शक्तिहीन सदन है विधानसभा कभी-भी अपने कुल सदस्यों के बहुमत और उपस्थित तथा मतदान करनेवाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से विधानपरिषद् को स्थापित या समाप्त कर सकती है। इसको बनाए रखना केवल राज्य के धन की बर्बादी है।

- By Nisha Kongari.
Political Science Dept.